तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टीए/1566/2018/हनुमानगढ़** **परमजीत कौर बनाम सरदूलसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य

श्री राजेश सिंह, सदस्य

उपस्थितिः—

श्री आर.एस. बराड, अभिभाषक अपीलांट।

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक 10—4—2026

यह प्रकरण एडमिशन के स्तर पर सन् 2018 से लम्बित है। उभयपक्ष की बहस अपील के एडमिशन पर सुनी गई। हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् अपील के पुनः गृहण का है, जिसमें राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 15—2—2018 को पारित है, जिसके द्वारा रेस्टोरेशन का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आदेश 23 नियम 1 (5), एस.सी.सी. 2015 पृष्ठ 373, आर.सी.आर. (सिविल) 2025 (3) पृष्ठ 504, डी.एन.जे. 2022 (2) पृष्ठ 788, आर.एल.डब्ल्यू. 1999 (1) पृष्ठ 686 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

2— दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट का यह कथन है कि मियाद के बिन्दू पर बिना युक्तियुक्त कारण बताये अपील कंडोन करने का औचित्य नहीं होने से तथा मूल प्रकरण का पत्रावली में राजीनामा होने से यह द्वितीय अपील पोषणीय नहीं है।

3— बहस उभयपक्ष के आलोक में सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। आदेश 41 नियम 19 सीपीसी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जहां अपील को आदेश 41 नियम 17 या आदेश 41 नियम 11 के उपनियम (2) के तहत् खारिज किया जाता है, वहां आदेश 41 नियम 19 के तहत् अपील को सुनवाई के लिए पुनः गृहण (रेस्टोरेशन) किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से हस्तगत अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—6—1996 आदेश 41 नियम 17 एवं आदेश 41 नियम 11 (2) के तहत् पारित आदेश नहीं है। अतः विधि के स्पष्ट प्रावधानों के तहत् आदेश 41 नियम 19 का प्रार्थना—पत्र पोषणीय नहीं कहा जा सकता।

4— पत्रावली अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि इस प्रकरण में विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टीए/1566/2018/हनुमानगढ़** **परमजीत कौर बनाम सरदूलसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे 15 वर्षों की लंबी अवधि का विलम्ब क्षमा किया जा सके ; और ना ही विलम्ब को दर्शाते हुए कोई युक्तिसंगत व पर्याप्त आधार इस याचिका में ही वर्णित किए गये हैं। ऐसी स्थिति में विलम्ब को क्षमा करने का आधार भी इस न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं है, तो राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ का आक्षेपित आदेश दिनांक 15–2–2018 को विचलित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार आदेशित हो। 5– अतः उक्त आधारों का इस न्यायालय का सुविचाररित मत है कि यह अपील ग्राह्यता के स्तर पर ही पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेश सिंह)** **(सानुज कुलश्रेष्ठ)** **सदस्य** **सदस्य**	